# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 129/2022 **GCMS 2022/255**

**वादीया**

1. शांतिदेवी पत्नि सीताराम जाति खटीक उम्र 65 वर्ष निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. गोपाल पुत्र सीताराम जाति खटीक निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
2. नर्बदा देवी पुत्री सीताराम पत्नि गोविन्दराम जाति खटीक निवासी खारिया तह. कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

**दावा– रिकॉर्ड दुरूस्ती शुद्वि व खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 R . T. Act1955**

उपस्थित :–श्री राजेश गुजर अधिवक्ता वादीया की ओर से।

श्री बिरमाराम अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 की ओर से।

**निर्णय**

दिनॉक :– 16/10/2023

वादीया द्वारा प्रस्तुत संशोधित वाद का सार संक्षेप में पक्षकार वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 व 2 सीताराम के वारिसान है जिनका सजरा खानदान निम्नवत है :–

सीताराम (फौत)

| | | | |
|---|---|---|---|
| शांतिदेवी (पत्नि) | कालूराम (पुत्र) (अविवाहित फौत) | गोपाल (पुत्र) | नर्बदादेवी (पुत्री) |

कस्बा कुचामनसिटी जिला नगौर की सरहद में खसरा नम्बर 264 रकबा 0.4225 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय स्थित चली आ रही है, उपरोक्त भूमि स्व. सीताराम जी की खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी उनके स्वर्गवास हो जाने पर जरिये उत्तराधिकारी वादीया व उसके दोनो पुत्रो कालूराम, गोपाल के नाम दर्ज हो गई, ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 264 रकबा 0.4225 हैक्टर भूमि में 1/3 हिस्सा वादीया का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 गोपाल का, 1/3 हिस्सा कालूराम पुत्र सीताराम की ख़ातेदारी मे दर्ज होकर खातेदारी दर्ज चली आई है, कालूराम अविवाहित फौत हो चुका है, इस प्रकार उक्त भूमि कालूराम की 1/3 हिस्सा पर वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की कब्जे काश्त अधिकार में चली आ रही है। उपरोक्त भूमि में से कालूराम के 1/3 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि में से 1/3 हिस्सा वादीया का व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 02 की खातेदारी की घोषणा करने के [illegible] है, इसलिए खातेदारी घोषणा का वाद लाना आवश्यक हुआ है। उक्त भूमि में वादीया का नाम खातेदारी में फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय आचूकीदेवी पत्नि सीताराम जाति खटीक सह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी ( नागौर )

दर्ज चली आ रही है, जबकि वादीया का नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशनकार्ड इत्यादि में शांतिदेवी पत्नि सीताराम अंकित है। उपरोक्त प्रकरण में वादीया का नाम आचूकी देवी पत्नि सीताराम साकिन खातेदार के स्थान पर शांति देवी पत्नि सीताराम जाति खटीक किया जाना आवश्यक है, जिससे भविष्य में ऋण, सरकारी सहायता प्राप्त करने में किसी प्राकर की असुविधा नही हो। उक्त भूमि में वादीया का नाम दुरूस्त किया जाने व कालूराम के हिस्से की भूमि मे से 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादीया के नाम किये जाने हेतु वाद पत्र लाना आवश्यक हुआ जिसकी वादीया अधिकारी है, वादीया की इस्तदुआ है कि ग्राम कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 264 रकबा 0.4225 हैक्टर भूमि में खातेदार कालूराम के 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि में से 1/3 हिस्सा वादीया के नाम खातेदारी अधिकारों कीक घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावें, उपरोक्त भूमि में वादीया का नाम आचूकी देवी पत्नि सीताराम के स्थान पर शांतिदेवी पत्नि सीताराम का नाम दुरूस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी सं. 01 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी कराई गई, जिस पर लेने से इंकान होकर मूल रजिस्टर्ड एडी लिफाफा प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। तामिल मानी जाकर प्रतिवादी सं. 01 को आवाजें लगाई गई, अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार कुचामनसिटी की साधाराण तरीके से तलबी की गई, जो बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने सुनवाई नर्बदा देवी पुत्री सीताराम पत्नि गोविन्दराम खटीक निवासी खारिया द्वारा प्रार्थना–पत्र आर्डर 01 रूल्स 10 सीपीसी का प्रस्तुत होने पर बाद सुनवाई स्वीकार कर नर्बदादेवी को प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया। नर्बदा देवी द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

प्रतिवादी नर्बदा देवी ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 264 रकबा 0.4225 हैक्टर भूमि उसके पिता सीताराम जी के नाम दर्ज चली आई है तथा उनके स्वर्गवास पश्चात उक्त भूमि वादीया शांतिदेवी व प्रतिवादी सं. 01 गोपाल, कालूराम के नाम खातेदारी में दर्ज हो जाने के पश्चात कालूराम अविवाहित फौत हो गया उपरोक्त भूमि में वादीया द्वारा कालूराम के 1/3 हिस्से में से 1/3 हिस्से की खातेदारी हेतु वाद लाया गया है यदि उपरोक्त भूमि में से कालूराम के 1/3 सम्पूर्ण हक हिस्से में से 1/3 हिस्से की खातेदारी वादीया के नाम दज्र कर दी जाती है तो प्रतिवादी सं. 03 को किसी प्रकार का उज्र एतराज नही होगा तथा वादीया का नाम उपरोक्त भूमि में आचूकी देवी [illegible] सीताराम जाति खटीक साकिन देह खातेदार के स्थान पर शांति देवी पत्नि सीताराम जाति खटीक दर्ज करवाती है तो उसे कोई आपत्ति नही है। काउन्टर क्लेम में कथन किया है कि कालूराम के हक हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

सम्पूर्ण भूमि में से 1/3 हिस्से की खातेदारी जरिये उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं. 03 नर्बदा देवी पुत्री सीताराम के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादीया की ओर से काउन्टर क्लेम एवं जवाब दावा का प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही करना चाहा। वादीया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में कालूराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति, जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2074 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 264 की प्रमाणित प्रति, राशन कार्ड की छाया प्रति, जन आधार कार्ड की छाया प्रति, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र, गवाह किशन पुत्र प्रभूराम खटीक कुचामन का शपथ–पत्र, गवाह जितेन्द्र पुत्र जेठाराम खटीक कुचामनसिटी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किये।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा प्रतिवादी वकील ने प्रस्तुत जवाब–दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी ग्राम कुचामनसिटी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 18 खसरा नम्बर 264 रकबा 0.4225 हैक्टर बारानी द्वितीय में आचूकीदेवी पत्नि सीताराम हिस्सा 1/3 जाति खटीक सा. देह खातेदार, कालूराम पुत्र सीताराम हिस्सा 1/3 जाति खटीक सा. देह खातेदार, गोपाल पुत्र सीताराम हिस्सा 1/3 जाति खटीक सा. देह खातेदार दर्ज है। वादीया का नाम अन्य दस्तावेज राशन कार्ड 65/3 (22228) वार्ड सं. 3 में ऑचीदेवी उर्फ शांतिदेवी पत्नि स्व. सीताराम सूर्या होटल के पास कुचामनसिअी दर्ज है तथा परिवार सदस्य सूची में आंची उर्फ शांति देवी 46 वर्ष स्वयं, गोपाल 23 वर्ष पुत्र, कालू 20 वर्ष पुत्र, किरण 21 वर्ष पुत्रवधू दर्ज है, बैक पास खाता सं. 11334596295 थार ग्रामीणा बैंक कुचामनसिटी में आंचीदेवी उर्फ शांतिदेवी पत्नि सीताराम दर्ज है, मतदाता पहचान पत्र RJ/25/195/264177 जारी दिनॉक 20.03.2007 195 नावां विधान सभा क्षेत्र में शान्ती पत्नि सीताराम 43 वर्ष अस्पताल रोड़ वार्ड सं. 03 दर्ज है, आधार कार्ड नम्बर 304669678805 में शांति देवी पत्नि सीताराम वी.टी. विद्यालय के पास कुचामनसिटी दर्ज है, जन आधार कार्ड नम्बर 4700303723 में शांति देवी वार्ड नं. 04 सूर्या होटल के पास कुचामनसिटी दर्ज है। राशन कार्ड सं. 111300400034 वार्ड सं. 04 में शांति देवी पत्नि स्व. सीताराम दल्ला बालाजी रोड़ वार्ड नं. 4 कुचामनसिटी दर्ज है। मृत्यु प्रमाण–पत्र नं.0811200400000090048 जारी तिथि 23.02.2021 अनुसार कालूराम पुरूष की मृत्यु 04.02.2021 को होना दर्शाया गया है। उपरोक्त भूमि में दर्ज गलत नाम आचूकीदेवी पत्नि सीताराम को दुरूस्त किये जाने के तथ्य उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित होते है अतः वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में आचूकी देवी पत्नि सीताराम खटीक कुचामनसिटी के स्थान पर शुद्व नाम शांति देवी पत्नि सीताराम खटीक कुचामनसिटी किया जाना उचित है। कालूराम के 1/3 हक हिस्से की भूमि पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 व 2 के नाम बराबर–बराबर दर्ज की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी

जानी न्यायिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होती है, चूँकि कालूराम पुत्र सीताराम वादीया के कथनो अनुसार अविवाहित फौत हो चुका है जिसके हक हिस्से की राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि 1/3 हिस्से में वादीया शांति देवी, प्रतिवादी 01 गोपाल, प्रतिवादी सं. 02 नर्बदा देवी के नाम दर्ज की जाने के कथन प्रतिवादी 02 नर्बदा देवी ने अपने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम मे भी किया है। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वाद वादीया काबिल डिक्री योग्य पाये जाने निम्नवत डिक्री किया जाता है।

## आदेश

अतः वाद वादीया डिक्री कर घोषणा की जाती है कि ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 264 रकबा 0.4225 हैक्टर वादीया शांति देवी पत्नि सीताराम जाति खटीक निवासी कुचामनसिटी को 0.1878 हैक्टर, प्रतिवादी गोपाल पुत्र सीताराम जाति खटीक निवासी कुचामनसिटी को 0.1878 हैक्टर, प्रतिवादी नर्बदा देवी पुत्री सीताराम पत्नि गोविन्दराम जाति खटीक निवासी खारिया को 0.0469 हैक्टर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। राजस्व रेकार्ड से मृतक कालूराम पुत्र सीताराम जाति खटीक निवासी कुचामनसिटी का नाम हटाया जाता है, खाते में अशुद्व प्रविष्टि आचूकी देवी पत्नि सीताराम जाति खटीक के स्थान पर शुद्व प्रविष्टि शांति देवी पत्नि सीताराम जाति खटीक निवासी कुचामनसिटी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

निर्णय आज दिनॉक 16/10/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:02 IST
Reason: SelfAttested

## डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **मनोज (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :– 129/2022 **GCMS 2022/255**

**वादीया**

1. शांतिदेवी पत्नि सीताराम जाति खटीक उम्र 65 वर्ष निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. गोपाल पुत्र सीताराम जाति खटीक निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
2. नर्बदा देवी पुत्री सीताराम पत्नि गोविन्दराम जाति खटीक निवासी खारिया तह. कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

**दावा– रिकॉर्ड दुरूस्ती शुद्वि व खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 RT Act1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .................. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री बिरमाराम चौधरी प्रतिवादी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **अतः वाद वादीया डिक्री कर घोषणा की जाती है कि ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 264 रकबा 0.4225 हैक्टर वादीया शांति देवी पत्नि सीताराम जाति खटीक निवासी कुचामनसिटी को 0.1878 हैक्टर, प्रतिवादी गोपाल पुत्र सीताराम जाति खटीक निवासी कुचामनसिटी को 0.1878 हैक्टर, प्रतिवादी नर्बदा देवी पुत्री सीताराम पत्नि गोविन्दराम जाति खटीक निवासी खारिया को 0.0469 हैक्टर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। राजस्व रेकार्ड से मृतक कालूराम पुत्र सीताराम जाति खटीक निवासी कुचामनसिटी का नाम हटाया जाता है, खाते में अशुद्व प्रविष्टि आचूकी देवी पत्नि सीताराम जाति खटीक के स्थान पर शुद्व प्रविष्टि शांति देवी पत्नि सीताराम जाति खटीक निवासी कुचामनसिटी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।** निज ............................ मुबलिग ......... बाबत.....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ............. का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 10 सन् 2023 को जारी की गई।

दस्तखत (signature)
ओहदा उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

[Seal: उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)]

| मुदई | रूपयें | पैसे | मुदायलय | रूपयें | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालात नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकिल | | |
| महन्ताना वकिल | | | खर्चा गवाहन | | |
| खर्चा गवाहन | | | फिस कमिश्नर | | |
| फिस कमिश्नर | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | मु... | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:02 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक/राजस्व/2023/ 226 दिनॉकः– 16.10.2023

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 129/2022 **GCMS 2022/225** शांतिदेवी बनाम गोपाल वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

-X-X-X-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण वाद सं. 129/2022 **GCMS 2022/225** शांतिदेवी बनाम गोपाल वगैरह में पारित डिक्री आदेश की प्रमाणित प्रति भिजवाई जा रही है, मुताबिक डिक्री राजस्व रेकार्ड अमल दरामद करते हुए पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:10:02 IST
Reason: SelfAttested